तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०, अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से श्री अनिल कुमार भट्ट एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। वास्ते अप्रार्थी संख्या-1 की तलबी व 2 व 3 का जवाब हेतु दिनांक 30/6/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी [illegible] (सेवा)
30/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील अनुपस्थित। ना ही अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का जवाब बंद किया जाता है। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 1/7/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी [illegible] (सेवा)
1/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०, वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 48 रकबा 0.21 हे० की सीमाओं का सीमाज्ञान दिनांक 30/5/25 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 01.07.25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुकदमा संख्या–64/2025

1. रामेश्वर पुत्र हजारी
2. तारा पत्नि कन्हैया
3. महेश पुत्र भगवानसहाय
4. फूलचन्द पुत्र सरदार
5. रामचरण पुत्र गंगासहाय

समस्त जाति मीना निवासी बड़ा बास भंडेडा तहसील बांदीकै जिला दौसा राजस्थान।

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बांदीकुई।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका बांदीकुई।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज.लैण्ड.रे.एक्ट

निर्णय दिनांक –01.07.2025

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री वीरेन्द्रसिंह कुशवाह ने दिनांक 13.06.2025 को पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.21 हैक्टे. स्थित वाके रामा बडा बास भाण्डेडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, प्रार्थी संख्या 01 के पिता हजारी, प्रार्थीया संख्या 02 के ससुर ठण्डया एंव प्रार्थी संख्या 03 के दादाजी उमराव प्रार्थी संख्या 04 के दादाजी भूरा तथा प्रार्थी संख्या 05 के दादाजी हरदेवा की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। हजारी, ठण्डया, उमराव, भूरया तथा हरदेवा का स्वर्गवास हो चुका है लेकिन उनके विरासत का नामान्तकरण प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होने से राजस्व रिकॉर्ड में उनके पूर्वजों का नाम दर्ज चला आ रहा है।

प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की उक्त वर्णित भूमि के कुछ हिस्से में रिहायश हो चुकी है तथा शेष भूमि प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की खाली होने के कारण पाडौसी सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढी नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहे है जिससे फसल में नुकसान होता है तथा पत्थरगढी नहीं होने के कारण विवाद होने से झगडा फसाद की सम्भावना बनी रहती है प्रार्थीगण की उक्त सीमाओं के विवाद के स्थाई समाधान के लिए प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 28 रकबा 0.21 हैक्टेयर की सीमाओं का सीमाज्ञान हो जाने के उपरान्त भी पडौसी मौके पर विवाद कर रहे है तथा प्रार्थीगण को मुताबिक सीमाज्ञान तारबन्दी में बाधा उत्पन्न कर रहे है इसलिये प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी पेश करना आवश्यक हुआ है जिससे प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की सीमाओं का स्थाई समाधान हो सके।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलवी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से एडवोकेट श्री अनिल कुमार भट्ट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से नियुक्त एडवोकेट अनुपस्थित रहा। प्रकरण में प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस प्रार्थीगण की कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.21 हैक्टेयर जो नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई में आ जाने से इस भूमि का नामान्तकरण नगर पालिका बांदीकुई के हक में दर्ज हो चुका है। उक्त भूमि की सीमाओं का सीमाज्ञान हो जाने के उपरान्त मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 28 रकबा 0.21 हैक्टेयर नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई में आ जाने से इस भूमि का नामान्तकरण नगर पालिका बांदीकुई के हक में दर्ज हो चुका है। नगर पालिका मण्डल बांदीकुई ने जरिये पत्र कमांक : न.पा.बा./2025/506 दिनांक 06/05/2025 द्वारा उक्त भूमि के सीमाज्ञान के लिए अनापत्ति तहसीलदार बांदीकुई को जारी की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में पत्थरगढी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के खाता संख्या नया 105 पुराना 105 के खसरा नम्बर 28 रकबा 0.21 हैक्टेयर की सीमाओं का सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2025 के अनुसार नगरपालिका बांदीकुई के प्रतिनिधि की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें। कब्जे आदि दिलवाने के सम्बंध में कोई कार्यवाही नही करें। तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(signature) 01.07.25

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner